न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, सिवान
उपस्थितः– उमेश मणि त्रिपाठी
A.B.P. No.- 347/2026
उषा देवी एवं अन्य बनाम बिहार सरकार
[गोरेयाकोठी थाना कांड संख्या 08/2026]
आदेश

06.06.2026 आवेदकगण/अभियुक्तगण **1. मिथेलश कुमार एवं 2. सुनील कुमार** की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन सं0 347/2026, गोरेयाकोठी थाना कांड संख्या 08/2026, अंतर्गत धारा– 126(2), 115(2), 109, 351(2), 352/3(5) भारतीय न्याय संहिता पर आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रेम शंकर सिंह एवं विपक्षी विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री रघुवर सिंह को सुना।

संक्षेप में अभियोजन का कथन यह है कि दिनांक 06.01.2026 को समय 5 बजे शाम को सूचक भिट्ठी बाजार से वापस अपने घर आ रहे थे। जैस ही भिट्ठी बाजार पुलिस के पास पहुंचे तो पहले से बैठा आकाश कुमार, पवन कुमार, रूपेश कुमार, मिथलेश कुमार, अलोक कुमार एवं सुनील कुमार सभी मिलकर सूचक को रोक दिए और धक्का देकर गाड़ी से नीचे गिरा दिए एवं गाली–गलौज करते हुए पवन कुमार हाथ में लिए लोहे के फाईटर से सूचक के सिर पर मार दिए जिससे सूचक का सिर फट गया और खून गिरने लगा। उसके बाद सभी व्यक्ति हाथ में लिए लाठी, डंडा से जान मारने की नियत से सूचक को माारने–पीटने लगे। जिससे सूचक पुरी तरह से जख्मी हो गए। बाजार से आते–जाते राहगीरों के द्वारा बीच–बचाव करने पर सूचक की जान बची। तब सूचक मोबाईल से फोन कर अपने घर वालों को बुलाए और प्रा0 स्वा0 केंद्र गोरेयाकोठी में ईलाज कराया। इस मारपीट में संजीत कुमार भी शामिल थे।

आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि आवेदकगण बिल्कुल निर्दोष है और उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है। आवेदकगण की ओर से कोई अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन कभी भी विद्वान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवान या माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष दाखिल नहीं किया गया है। आवेदकगण का अतीत साफ है और उसके खिलाफ अन्य कोई मामला पंजीकृत नहीं है। अभियोजन की कहानी पूरी तरह से झूठा और मनगढंत है और आवेदकगण के ऊपर विशिष्ट आरोप नहीं लगाया गया है। आवेदकगण के खिलाफ लगाया गया आरोप की धारा 109 भारतीय न्याय संहिता को छोड़कर सभी जमानतीय है। आवेदकगण मामले की जांच और सुनवाई में अपना पूर्ण सहयोग देने का वचन देते हैं। अतः उनके द्वारा आवेदकगण/अभियुक्तगण को जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की गई।

विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री रघुवर सिंह के द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुए अपने तर्क में यह कहा गया है कि आवेदकगण द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज किया जाय।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में प्राथमिकी गोरेयाकोठी थाना कांड संख्या 08/2026, अंतर्गत धारा– 126(2), 115(2), 109, 351(2), 352/3(5)

न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, सिवान
<u>उपस्थितः– उमेश मणि त्रिपाठी</u>
<u>A.B.P. No.- 347/2026</u>
उषा देवी एवं अन्य बनाम बिहार सरकार
[गोरेयाकोठी थाना कांड संख्या 08/2026]

<u>06.06.2026</u>

लगातार

भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत आवेदकगण के विरूद्ध पंजीकृत कराई गई है। आवेदकगण के विरूद्ध अन्य सह–अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचक के साथ लोहे के फाईटर, लाठी एवं डंडा से मारपीट कर जख्म कारित करने का आरोप लगाया गया है। कांड दैनिकी के साथ जख्मी का जख्म प्रतिवेदन संलग्न है जिसके अनुसार चिकित्सक ने जख्मी के जख्म को साधारण प्रकृति का पाया है। कांड दैनिकी की कंडिका संख्या 25 के अनुसार आवेदकगण के खिलाफ इस मामला के अलावा अन्य कोई मामला पंजीकृत नहीं है। उभय पक्षों के बीच सुलह हो गया है जिसकी प्रति अभिलेख पर उपलब्ध है। आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध की प्रकृति एवं कारित जख्म की प्रकृति एवं उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए उनकी ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत होने योग्य है।

अतः आवेदकगण/अभियुक्तगण **1. मिथेलश कुमार एवं 2. सुनील कुमार** को 30 दिनों के अंदर गिरफ्तार होने अथवा विद्वान विचारण न्यायालय में आत्म समर्पण करने के पश्चात् इनके द्वारा मो0 10,000/– रूपये की राशि के दो समान प्रतिभूवाले बंधपत्र दाखिल करने पर विद्वान विचारण न्यायालय की संतुष्टि के पश्चात् धारा 482(2) बी0एन0एस0एस0 के शर्तो के अलावे एक जमानतदार आवेदकगण का निकट संबंधी होने की शर्त के अनुपालन के निर्देश के साथ जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित
ह0/–
(उमेश मणि त्रिपाठी)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय,
सिवान।
दिनांक 06.06.2026

Date of Order/Judgment	06.06.2026
Date of Reserving Order/Judgment	06.06.2026
Uploading Date	10.06.2026
Uploaded By	Ravi Kant